संख्या-149/2016/728/22-2-2016-17(318)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर,2016***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3/(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी मो0 आजादनगर आलमबाग, थाना-कृष्णानगर, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। पैसे के लेन देन के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 02-05-1994 को दोपहर लगभग 02:10 बजे श्रीमती मन्जू सक्सेना के नाबालिग पुत्र की चाकू से मारकर निर्ममता से हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-340/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-02-1998 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06-09-1999 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2015 तक 20 वर्ष 01 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने एक नाबालिग की चाकू से मारकर निर्ममता से हत्या जैसे अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अब्दुल वसीम (बन्दी संख्या-14491) पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-149/2016/728(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखनऊ ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-149/2016/728/22-2-2016-17(318)/2009

दिनांक 10 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध अब्दुल वसीम(बन्दी संख्या-14491) पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी मो0 आजादनगर आलमबाग, थाना-कृष्णानगर, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। । पैसे के लेन देन के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 02-05-1994 को दोपहर लगभग 02:10 बजे श्रीमती मन्जू सक्सेना के नाबालिग पुत्र की चाकू से मारकर निर्ममता से हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-340/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-02-1998 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06-09-1999 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2015 तक 20 वर्ष 01 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने एक नाबालिग की चाकू से मारकर निर्ममता से हत्या जैसे अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।